

तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
धारा 88 आर. टी. ए. दावा बाबत घोषणा

—: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 02/12/20

वादी की ओर से श्री अमनदिप सिंह व अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से गुसाहिब सिंह बराड़, महेन्द्रसिंह मेहरा अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 02/12/20 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 आरटीए के अन्तर्गत वादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है कि:-
प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 25 के एस पी खाता सं. 4/93 के प0 न0 107/336 मु0 न0 37 किला न0 21/2/0.190, 107/337 मु0 न0 42 किला न0 1/2/0.097, 2/2/0.101, 3 ता 9, 10/1/0.240, 11/1/0.225, 12/1/0.236, 13/1/.236, 14/1/.132, 15/1/.132 कुल 3.170 है0 भूमि से कलमजन कर प्रथम पक्षकारान (वादीगण) को उक्त भूमि का ब0 हि0 ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे पत्रावली निर्णय शूमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हों।

यह डिक्री आज दिनांक 02/12/20 को हमारे हस्ताक्षर वा मोहर आदालत से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ।

मिलान किया
a

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ